

## न्यायालय जिला कलेक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी

**रुक्मणि रियार सिहाग**  
आई.ए.एस.

मिसल संख्या  
294 / अपील / 18

तारीख दायरा  
02.07.2018

तारीख निर्णय  
13.11.2019

माधो आ0 उदा जाति मीणा,  
निवासी ग्राम हरिपुरा, तहसील एवं जिला बून्दी

— अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बून्दी

— रेस्पोजेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित—

अपीलान्त की ओर से श्री कन्हैयालाल मीणा, एडवोकेट।  
रेस्पोजेन्ट की ओर से परोकार सरकार।

### निर्णय

यह अपील तहसीलदार बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.18 (मिसल संख्या 1153/2018) से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की गयी है। जिसमें अपीलांत द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलान्त ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को कोई नोटिस नहीं दिया तथा सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाकर अपीलांत की अनुपस्थिति में एकपक्षीय निर्णय पारित कर सिविल



जिला कलेक्टर; बून्दी

सजा के दण्ड से दण्डित किया गया। जिससे अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना जवाब तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला। ऐसे में अपीलांट अपने अधिकारों से वंचित हो गया। पटवारी हल्का ने मौके पर कब्जे की जांच किये बिना ही अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश कर दी गई जबकि अपीलांट का उक्त भूमि के किसी भूभाग पर कभी कब्जा नहीं रहा है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया उक्त निर्णय विधि विरुद्ध होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। निर्णय के बाद आरोपित शास्ति अपीलांट द्वारा जमा करवा दी है, वर्तमान में उक्त भूमि बाबत अपीलांट पर कोई राशि राजकोष में जमा से शेष नहीं है। अपीलांट को किसी प्रकार का बेदखली का आदेश नहीं दिया गया है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में उसको पश्चात्वर्ती अतिक्रमी माने जाने में कानूनी त्रुटि की है। चूंकि अपीलांट द्वारा उक्त भूमि पर से कब्जा छोड़ दिया है तथा पेनल्टी राशि जमा करवा दी है, अपीलांट अब उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं करेगा। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित कठोर दण्ड सिविल सजा को निरस्त किया जाना न्यायहित में है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.02.18 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

परोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई हेतु विधिवत नोटिस दिया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलांट ने बिना किसी विधिक अधिकार के जिस भूमि पर अतिक्रमण किया है वह सरकारी सिवायचक भूमि है। अपीलांट बार बार अतिचार करने का आदी है, अपीलांट के पश्चात्वर्ती अतिक्रमी होने की पुष्टि रिपोर्ट पटवारी से होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। जिससे जाहिर आया है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई व साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर दिये बिना एकतरफा निर्णय पारित किया जाना बताया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को दिनांक 14.02.18 को विधिवत नोटिस दिया गया था, जो अपीलांट के मकान पर चस्पानगी से तामील होना अंकित है। ऐसे में सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने का अपीलांट का आरोप निराधार प्रतीत होता है।



अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार अपीलांट ने भूमि खसरा संख्या 695/230 रकबा 06 बिस्वा एवं 696/230 रकबा 2 बीघा 07 बिस्वा किस्म नहरी-2 सिवायचक वाके ग्राम बारवास पर संवत् 2074 मौसम रबी में गेहूं की फसल काशत कर अनाधिकृत अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 के तहत कार्यवाही करते हुए बेदखली, फसल नीलामी, 319/- रु. शास्ति तथा तीस दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार अतिक्रमी द्वारा संवत् 2074 मौसम खरीफ में भी उडद की फसल कर उक्त भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया गया था, जिस पर से अतिक्रमी को पूर्व में भी बेदखल किया गया था। रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार अपीलांट बार बार अतिचार करने के आदी है। अपीलान्ट के पश्चात्वृत्ति अतिक्रमी होने की पुष्टि न्यायालय तहसीलदार बून्दी की पत्रावली सं. 2003/17 निर्णय दिनांक 26.10.17 की पत्रावली पर उपलब्ध प्रमाणित प्रति से होती है, किन्तु दौराने बहस अपीलांट द्वारा प्रश्नगत भूमि पर से कब्जा छोड़ दिये जाने एवं शास्ति राशि जमा करवा दिये जाने की बात कही है।

अतः न्यायहित में RRD 2009 पेज 358 एवं RRD 2015 पेज 102 को मददेनजर रखते हुए अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को आदेश दिये जाते हैं कि अपीलांट द्वारा प्रश्नगत भूमि पर से मौके पर कब्जा छोड़ दिया हो तथा अधिरोपित शास्ति जमा करा दी गई हो, अपीलांट भविष्य में पुनः किसी राजकीय भूमि पर कब्जा नहीं करेंगे, इस आशय का शपथपत्र अपीलांट ने प्रस्तुत कर दिया हो, तब तहसीलदार बून्दी इन सब तथ्यों की स्वयं पुष्टि कर ले, तो इसे पत्रावली सं. 1153/2018 की आदेशिका में उल्लेखित करने के उपरान्त, अपीलाधीन आदेश द्वारा पारित नीलामी, शास्ति एवं बेदखली से संबंधित आदेश यथावत रखते हुये, केवल सिविल सजा का आदेश निरस्त रखा जावे। अपीलांट द्वारा ऐसा नहीं करने की दशा में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 28.02.18 यथावत रहेगा। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 13.11.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( **रुक्मणि रियार सिहाग** )  
जिला कलक्टर, बून्दी  
जिला कलक्टर बून्दी

